(156)

परिषद की वर्ष 1979 की व्दितीय बैठक

दिनांक 28-3-79

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 28-3-1979 को 5-30 बजे अपरान्ह हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1979 की द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त।

(157)

उपस्थित

(1) श्री बी0जे0ओदायजी		अध्यक्ष
(2) श्री ए0पी0सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	एडवोकेट	सदस्य
(4) श्री राम औतार दीक्षित	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(5) श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(6) श्री के0एन0द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम	सदस्य
(7) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8) श्री बी0के0चतुर्वेदी	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
(9) श्री नेम सिंह चौहान	सदस्य विधान सभा	सदस्य
(10) श्री दया नन्द व्यास	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(11) प्रो0 दिनेश मोहन	निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की।	सदस्य
(12) श्री सुरेन्द्र मोहन	विशेष सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।	सदस्य

विषय	संकल्प	निर्णय
2	3	4
दिनांक 6-1-79 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	11/(1)/79	परिषद की दिनांक 6-1-79 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
परिषद की बैठक दिनांक 6-1-79 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	11/(2)/79	परिषद द्वारा बैठक दिनांक 6-1-79 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। साथ-साथ यह भी निर्देश दिया गया कि राम सागर मिश्र नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में समाविष्ट श्रीमती मालती सिंह के हक में भूमि मुक्त किये जाने के बारे में गठित समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण तुरन्त किया जाय। समिति का निर्णय परिषद का निर्णय होगा तथा समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर शासन को भी तदनुसार सूचित कर दिया जाये। 16-ए0पी0सेन रोड, लखनऊ स्थित भूमि एवं भवन को क्रय किये जाने हेतु मूल्यांकन के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से पुनः निवेदन किया जाये।

क्र0प0उ0

1	2	3	4
	(3) परिषद के वित्तीय वर्ष-1978-79 के पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष-1979-80 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं का ब्योरेवार अनुमान।	11/(3)/79	वित्तीय वर्ष-1978-79 के पुनरीक्षित तथा 1979-80 के आय-व्ययक पर परिषद द्वारा निम्नांकित निर्देश के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी:- (1) परिषद कार्यक्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक नगर में आवासीय योजनायें शीघ्रता से कार्यान्वित की जायें। विशेषकर उन नगरों में जहाँ पंजीकरण की प्रक्रिया 28-2-79 को समाप्त हुई है। भवनों एवं भूखण्डों की संख्या प्रत्येक नगर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाये। (2) स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यथा सम्भव बहुमंज़िलीय भवन निर्माण कराये जायें। (3) चूंकि भवन निर्माण कार्य का बड़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है अत: परिषद में एक रिसर्च एवं डिज़ाइन यूनिट स्थापित करने पर विचार किया जाये। निदेशक सी0बी0आर0आई0, रुड़की ने यह भी सुझाव दिया कि प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्ज़ामिनर, इस प्रकार की अन्य सम्बन्धित इकाईयों से सम्पर्क बनायें रखें। (4) प्रो0दिनेश मोहन, निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की ने यह भी सुझाव दिया कि बुझे हुये चूने का प्रयोग, जिन-जिन स्थानों पर किया जा रहा है उनके नाम तथा प्राप्त अनुभव का ब्योरा देते हुये एक टिप्पणी तैयार की जाये जिस में कास्ट बेनीफिट अनालसिस(cost Benefit Anaiysis) एवं उपयोगिता का उल्लेख हो। जिन स्थानों पर इस प्रकार के मारटर का प्रयोग सम्भव न हो पाया हो टिप्पणी में उनका भी उल्लेख कारण दर्शाते हुये किया जाय। यह टिप्पणी निदेशक महोदय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय ताकि वे उस पर परीक्षण उपरान्त अपने सुझाव दे सकें। (5) साईट एण्ड सर्विसेज़ कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाये। (6) इस बात को पुन: सुनिश्चित कर लिया जाय कि आय-व्ययक में दिखाये गये आंकड़े वास्तविक (realistic) हैं (7) भूमि विकास का कार्य शीघ्रता से किया जाय ताकि विकसित भूमि भवनों के निर्माण हेतु अतिशीघ्र उपलब्ध हो सके। 26-12-78 से 28-2-79 तक की अवधि में हुये भारी पंजीकरण को देखते हुये यह आवश्यक है कि परिषद द्वारा भवनों के निर्माण एवं भूखण्डों के विकास के कार्य में और तेज़ी लायी जाये ताकि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों को भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जा सकें। (8) शासन से पुन: मुख्य अभियन्ता के पद

क0प0उ0

1	2	3	4
			सृजन हेतु अनुरोध किया जाये।
(4)	आवास एवं विकास परिषद में वेतनक्रम 1250-1600/1300-1600 में अधिशासी अभियन्ता के एक पद का अपग्रेड किया जाना।	11/(4)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(5)	...जपतनगर कालोनी ...रादाबाद के अन्तर्गत ...र्मित भवनों का सहकारी ...वास समितियों के पक्ष में आरक्षण।	11/(5)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
	...ल्प आय वर्ग गृह निर्माण ...जिना के अन्तर्गत ऋण ...वतरण हेतु शासन से ऋण ...े लिये आवेदन।	11/(6)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(7)	आशुलिपिकों के सेलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में।	11/(7)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया परन्तु आवास आयुक्त आशुलिपिकों के अन्य ग्रेड में एक रूपता लाने के लिये साथ ही परीक्षण करेंगे।
(8)	प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्जामिनर के पद ...े सम्बन्ध में।	11/(8)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। परिषद व्दारा यह भी निर्देश दिया गया कि प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्जामिनर पूर्व निर्धारित ड्यूटीज़ के अतिरिक्त इंचार्ज आफ मानीटरिंग(Incharge of Monotoring) भी रहेंगे।
(9)	...रिषद मुख्यालय पर ...ाइक्लोस्टॉइल आपरेटर ...े एक पद का सृजन।	11/(9)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(1...	...0प्र0आवास एवं विकास ...रिषद रेगुलेशन फार दी ...ान्ट आफ हाउस बिल्डिंग ...डवान्स टू दि इम्पलाईज़ ...ाफ दी परिषद-73	11/(10)/79	परिषद व्दारा प्रस्तावित विनियमावली को इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया कि बनायी गयी विनियमावली शासन के विनियमों के अनुरूप होगी। विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये गये:- (1) परिषद कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड के मूल्य में 10% की छूट दी जाये तो ''उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फार दि ग्रान्ट आफ हाउस बिल्डिंग एडवान्स टू दि इम्पलाइज़ आफ दि परिषद-1973'' के अन्तर्गत ऋण न दिया जाये। (2) परिषद कर्मचारी को आरक्षण कोटा से केवल एक भवन अथवा भूखण्ड दिया जाये। यदि सम्बन्धित कर्मचारी किसी अन्य नगर में भी भवन/भूखण्ड का आवंटन चाहता हो तो उस नगर में आवंटन सामान्य नियमान्तर्गत किया जायेगा। उस पर 10% की छूट भी देय न होगी। यह आदेश retrespective effect से लागू होंगे। (3) आवंटन सम्बन्धी नियमावली के पुन: परीक्षण एवं संशोधन के लिये निम्नांकित समिति गठित की गई।

क0प030

1	2	3	
			(1) श्री दयानन्द व्यास, सदस्य विधान परिषद। (2) श्री राम औतार दीक्षित, सदस्य विधान परिषद। (3) श्री नेम सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा। (4) श्री टी0एन0सिंह, एडवोकेट। (5) उप आवास आयुक्त एवं सचिव।
(11)	डायमन्ड डेरी गृहस्थान योजना, लखनऊ।	11/(11)/79	परिषद व्दारा निम्नांकित समिति का गठन किया गया तथा समिति को स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त इस विषय पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया:- (1) श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। (2) आवास आयुक्त। (3) श्री दयानन्द व्यास, सदस्य विधान परिषद।
(12)	परिषद के नगर नियोजक एवं वास्तुकला विभाग के वास्तुविद, नियोजक को डिज़ाइन एलाउन्स देने के सम्बन्ध में।	11/(12)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(13)	मेरठ की गढ़रोड़ योजना के अन्तर्गत निर्मित मध्यम आय वर्ग(1166 टाइप) भवन संख्या-बी0-39 श्री रोहिताष कुमार गोयल, मण्डल आयुक्त मेरठ के पक्ष में पुराने मूल्य पर आवंटित किया जाना।	11/(13)/79	परिषद व्दारा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।
(14)	कम्पोज़िट हाउसिंग प्रोजेक्ट राम सागर मिश्र नगर सेक्टर-4 फेज़ छ:, लखनऊ।	11/(14)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(15)	कम्पोज़िट हाउसिंग प्रोजेक्ट सेक्टर 2 व 6 तालकटोरा तथा एम0आई0जी0हाउसिंग स्कीम राम सागर मिश्र नगर, लखनऊ।	11/(15)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(16)	कम्पोज़िट हाउसिंग प्रोजेक्ट लाजपतनगर (फेज़-II) मुरादाबाद।	11/(16)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(17)	[illegible] सागर मिश्रा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर 3, 5 व 6 में दुकानों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण।	11/(17)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(18)	नन्दनपुरा योजना सं0-7 झांसी में दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में।	11/(18)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

ह0प0उ0

1	2	3	4
(19)	परिषद की सिविल लाइन्स योजना बरेली में दुर्बल आय वर्ग के 18 भवन तथा इज्जतनगर योजना सं0-2 बरेली में 107 दुर्बल आय वर्ग के भवन के सम्बन्ध में	11/(19)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(20)	राम सागर मिश्रा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-3 में कुछ बची हुई भूमि पर 8 एम0आई0जी0 एम0ए0/74 भवनों का प्रस्ताव।	11/(20)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(21)	राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ सेक्टर-3 में 14वें शासन ऋण (78-79) के अन्तर्गत प्रस्तावित एम0आई0जी0 भवनों के सम्बन्ध में।	11/(21)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(22)	परिषद में अवर अभियन्ताओं के सेलेक्शन ग्रेड(400-600)के वर्तमान कोटे में वृद्धि।	11/(22)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

—

पुष्टि की गई

[signature] 17/7/79

अध्यक्ष

17.7.79